

मूल वाद में अन्तिम डिक्री  
बमुकद में ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 174/2020

वादपत्र अं. धारा 88,53 आर.टी.ए.



1. भूप सिंह | पि. मनफूल
2. धर्मवीर
3. विक्रम सिंह पुत्र रायसिंह

जाति जाट निवासी भाखरावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

-वादी

बनाम

1. माया | पुत्रीया मनफूल
2. विमला
3. कमलेश | पुत्रीयां बनवारी लाल
4. गायत्री
5. भीम सिंह पुत्र बनवारी लाल
6. पार्वतीदेवी पत्नी राय सिंह
7. रामनारायण | पि.जयकौरी पुत्री रामधन पत्नी देवीलाल जाति जाट सा.श्रीगंगानगर।
8. भागीरथ
9. मदन लाल | पि. गिरदावरी पुत्री रामधन पत्नी नत्थूराम जाति जाट साकिन नुकेरा
10. जगदीश
11. कृष्णा पत्नी विनोद कुमार पुत्री गिरदावरी जाति जाट सा.संगरिया
12. सीमा पुत्री सजनादेवी | जाति जाट सा. भाखरावाली तहसील संगरिया।
13. मनीराम पुत्र सुलतान
14. पतराम पुत्र सदासुख (कलमजन)
- 14/1 रामदयाल पुत्र पतराम जाति जाट सा.दुलमाना तहसील पीलाबंगा।
15. शाखा प्रबन्धक ओबीसी शाखा दीनगढ़ तहसील संगरिया।
16. तहसीलदार राजस्व संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक :-

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ रमेश देव आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री गुरमीत सिंह कलसी प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:-

चक 4 एसटीपी के खाता संख्या 83/61 में कब्जा काश्त अनुसार :-

1. भूप सिंह, धर्मवीर पुत्र मनफूल 6.599 हि. विमला पुत्री मनफूल 0.928 हि. जाति जाट सा. भाखरावली प.न. 173/120 मु.न. 8 किला नं. 17,18,23,24/0.253 है.प्र. प.न. 172/121 मु.न. 20 किला नं. 16/0.095 है. 17/0.095, 23,24,25/0.253 है.प्र. प.न. 172/122 मु.न. 21 किला नं. 3,4/0.253 है. प्र. 7,8/0.253 है. प्र. 11/1/0.228, 11/2/0.025 गै.मु. रास्ता 12/1/0.228, 12/2/0.025 गै.मु. रास्ता 13/1/0.228, 13/2/0.025 गै.मु. रास्ता, 14/1/0.228, 14/2/0.025 गै.मु. रास्ता 17,18,19,20,21,22,23/0.253 है.प्र. प.न. 172/123 मु.न. 41 किला नं. 3,8/0.253 है.प्र. 11,12,13/0.253 है. प्र. 18,19/0.253 है. प्र. कुल 7.527 है. नहरी मय गै.मु.
2. विक्रम सिंह पुत्र रायसिंह, पार्वती देवी पत्नी रायसिंह 1/4 बहिब हिस्सा प्रशान्त पुत्र भीमसिंह, पूजा, तानिया, नेहा पुत्रीया भीम सिंह, सरोज पत्नी भीम सिंह 1/4 हिस्सा गायत्री, कमलेश पुत्रीया बनवारी लाल 1/2 हि. जाति जाट सा. भाखरावली पं.न. 173/121 मु.न. 19 किला नं. 1/1/0.228, 1/2/0.025 गै.मु. खाला 2/1/0.228, 2/2/0.025 गै.मु. खाला, 3/1/0.228, 3/2/0.025 गै.मु. खाला 4/1/0.228, 4/2/0.025 गै.मु. खाला 5/1/0.202, 5/2/0.051 गै.मु. खाला 6/1/0.228, 6/2/0.025 गै.मु. खाला 7 ता 14/0.253 है.प्र. 15/1/0.228, 15/2/0.025 गै.मु. खाला 17 ता 21/0.253 है. प्र. 22/0.127 है. प.न. 172/121 मु.न. 20 किला नं. 16/0.158, 17/0.158 है. 14,15/0.253 है प.न. 172/123 मु. न. 41 किला नं. 1,2,9,10/0.253 है. प्र. प.न. 173/120 मु.न. 8 किला नं. 16,25/0.253 है.प्र. कुल रकबा 7.527 है. नहरी मय गै.मु.

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंशा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक:-प्रा.डिक्री/भू.अ./259 दिनांक 20.01.2023 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज....x.....मुब्लिक....x....बाबत...100/-....खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक....x....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 30/05/2023 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।



(रमेश देव)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी,  
संगरिया